

पंचनामा
(अनुपपुर स्थल निरीक्षण)

स्थल निरीक्षण
कक्ष का 10/08/2024
दिनांक 10/08/2024

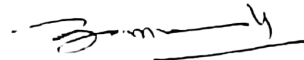
हम आयोगताक्षरकर्ता पंच तरदीक करते हैं कि आज दिनांक 10/08/2024 को जिला अनुपपुर एवं डिंडोरी के अंतर्गत कपिलधारा वन निरीक्षण हेतु (वन मण्डल अनुपपुर की 3.418 हे० एवं वन मण्डल डिंडोरी की 14.00 हे०) वन भूमि मुख्य नगर प्रालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक जिला अनुपपुर एवं उप यंत्री नगर परिषद अमरकंटक के साथ परिशेत्र अधिकारी अमरकंटक व परिशेत्र सहायक अमरकंटक संयुक्त रूप से स्थल पर आकर वन क्षेत्र में जीवित बड़े हरे वृक्षों को जो डूब क्षेत्र में आच्छादित हैं जिनका मौके पर निरीक्षण किया गया जो कि, गत वर्ष 2023 दि० 6/02/2023 को संयुक्त स्थल का सत्यापन किये गये वन क्षेत्र में डूब क्षेत्र में पड़ने वाले हरे वृक्षों की गणना कर ली गई है मौके पर साल वृक्षों की संख्या 603, साजा वृक्षों की संख्या 04, धावड़ा 01, जामुन 01, जेंडिया 01 वृक्ष कुल 610 वृक्षों की गणना की गई थी जो निरीक्षण कर सत्यापन किया गया। चूंकि उपरोक्त वन क्षेत्र घाटी नुमा क्षेत्र में लगभग 1.5 MCM का बैराज नर्मदा नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है जिससे उक्त 610 वृक्ष डूब क्षेत्र में पड़ रहे हैं जो अनुपपुर वन मण्डल अंतर्गत है शेष वृक्ष डिंडोरी वन मण्डल अंतर्गत डूब क्षेत्र में आ रहे हैं।

उपरोक्तानुसार मौका संयुक्त निरीक्षण किया गया और मौके पर पंचनामा तैयार कर उपस्थित पंच सदस्यों को पढ़ाया गया और सही तरदीक पाकर सभी उपस्थित पंच सदस्यों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये जो सही एवं सत्य है।

उपस्थित पंच सदस्य

हस्ताक्षर

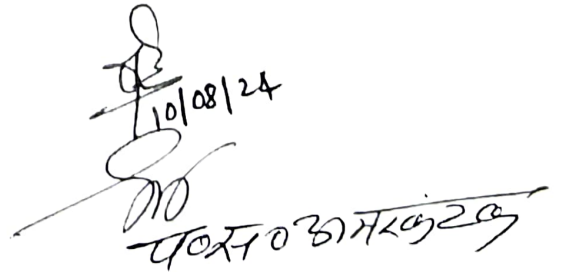
(1) श्री भूपेन्द्र सिंह
CMO Amarkantak
नगर परिषद अमरकंटक



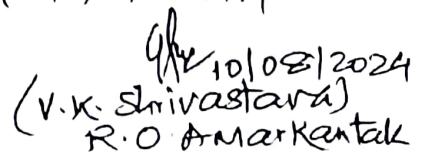
(2) देवल सिंह
उप यंत्री नगर परिषद अमरकंटक


10/08/24

(3) संतोष कुमार वर्मा (वनपाल)
परिशेत्र सहायक - अमरकंटक


पंचनामा अमरकंटक

उपरोक्त संयुक्त स्थल निरीक्षण पंचनामा मौके पर मेरे द्वारा तैयार किया गया।


10/08/2024
(V.K. Srivastava)
R.O Amarkantak

RO द्वारा स्थल निरीक्षण के लिये निर्धारित जाँच सूची

परियोजना का नाम - मुख्य मंत्री शहरी पेयजल योजना
 प्रपोजल नं. - FP/MP/WATER/50101/2020
 आवेदक संस्था का नाम - मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक
 परिक्षेत्र का नाम - अमरकंटक
 स्थल निरीक्षण दिनांक - 10.08.2024

क्र.	विशेष	RO द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट												
1.	सीमा हेक्टेयर	3.418												
2.	वन क्षेत्र अंतर्गत (अक्षांश देशांश)	N=22.70009, E=81.722871												
3.	वन भूमि (संरक्षित वन /आरक्षित वन/राजस्व वन भूमि या किसी भी अन्य वन भूमि) की कानूनी स्थिति	संरक्षित /आरक्षित <table><tr><th>क्र</th><th>परिक्षेत्र</th><th>कक्षा क्रमांक</th><th>लम्बाई मीटर में</th><th>चौड़ाई मीटर में</th><th>हेक्टेयर</th></tr><tr><td>1</td><td>अमरकंटक</td><td>RF 228 RF 229</td><td>-</td><td>-</td><td>3.418</td></tr></table>	क्र	परिक्षेत्र	कक्षा क्रमांक	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	हेक्टेयर	1	अमरकंटक	RF 228 RF 229	-	-	3.418
क्र	परिक्षेत्र	कक्षा क्रमांक	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	हेक्टेयर									
1	अमरकंटक	RF 228 RF 229	-	-	3.418									
4.	अस्थायी केन्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन	—												
5.	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण	—												
6.	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि या उससे सटे गैर वन भूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण	वर्तमान में कोई भी कार्य नहीं करने दिया गया है केवल प्रस्तावित किया गया है।												
7.	वनस्पति की स्थिति। साइट की गुणवत्ता/प्रजाति संरचना आदि	साइट की गुणवत्ता श्रेणी <u>IV-A</u> — एवं घनत्व .. 6... है।												
8.	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्य जीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्रायः वन्य जीवों की बहुतायत) की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।	—												
9.	वनस्पति/पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानिकता।	—												
10.	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे हैं तो कार्य आयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों ?	कार्यवृत्त का नाम - जैव विविधता												
11.	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	जर्मदा नदी एवं कपिल मुनि तपोभूमि												
12.	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/परिवार का निर्भरता	वन क्षेत्र												
13.	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव	—												
14.	वहां किसी भी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये हैं ? वहां विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति ?	—												

15.	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि या गैर वन भूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान। अगर बिगड़ी वन भूमि में है तो वर्तमान कार्य आयोजना अनुसार विवरण गैर वन भूमि है तो नजदीक वन क्षेत्र से दूरी। गामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलोमीटर दूर करने के लिये किया जाना चाहिए।	—
16.	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।	—
17.	इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चारहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है।	—
18.	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	पेयजल एवं निस्तार हेतु सहायक
19.	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं।	—
20.	गैर साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जांच विकल्प।	—
21.	वन भूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया है, उपयोगता एजेंसी द्वारा इसका प्रमाण पत्र	—
22.	वन भूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुए पेड़ वृद्धि को बचाने की कोई गंजाइश।	—
23.	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।	जल संरक्षण से भूमिगत जलस्तर में सुधार
24.	परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ आर.ओ. की विशिष्ट सिफारिशें।	अमरकंटक जैसे छोटे हिल स्टेशन के लिए जल की उपलब्धता एवं इसी पर्यटन से शासन को राजस्व प्राप्ति के आधार होगा।

दिनांक - 10.08.2024

स्थान - अमरकंटक


 प.अ. का नाम
 वीरेन्द्र कुमार शिवास्तव
 वन परिक्षेत्र अधिकारी

पंचनामा
(संयुक्त स्थल निरीक्षण)

स्थल-कापिलधारा
कसब क्र. RF228/229
दिनांक 10/08/2024

हम अधोस्तराक्षरकर्ता पंच तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 10/08/2024 को जिला अनूपपुर एवं डिंडोरी के अंतर्गत कापिलधारा बंध निर्माण हेतु (वन मण्डल अनूपपुर की 3.418 हे० एवं वन मण्डल डिंडोरी की 14.00 हे०) वन भूमि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक जिला अनूपपुर एवं उपयंत्री नगर परिषद अमरकंटक के साथ परिक्षेत्र अधिकारी अमरकंटक व परिक्षेत्र सहायक अमरकंटक संयुक्त रूप से स्थल पर आकर वन क्षेत्र में जीवित बड़े दरे वृक्षों को जो डूब क्षेत्र में आच्छादित हैं जिनका मौके पर निरीक्षण किया गया जो कि गत वर्ष 2023 दि० 6/02/2023 को संयुक्त स्थल का सत्यापन किये गये वन क्षेत्र में डूब क्षेत्र में पड़ने वाले दरे वृक्षों की गणना कर ली गई है मौके पर साल वृक्षों की संख्या 603, साजा वृक्षों की संख्या 04, धावड़ा 01, जामुन 01, जेडिया 01 वृक्ष कुल 610 वृक्षों की गणना की गई थी जो निरीक्षण कर सत्यापन किया गया। चूंकि उपरोक्त वन क्षेत्र घाटी नुमा क्षेत्र में लगभग 1.5 MCM का बैराज नर्मदा नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है जिससे उक्त 610 वृक्ष डूब क्षेत्र में पड़ रहे हैं जो अनूपपुर वन मण्डल अंतर्गत हैं, शेष वृक्ष डिंडोरी वन मण्डल अंतर्गत डूब क्षेत्र में आ रहे हैं।

उपरोक्तानुसार मौका संयुक्त निरीक्षण किया गया और मौके पर पंचनामा तैयार कर उपस्थित पंच सदस्यों को पढ़ाया गया और सही तस्दीक पाकर सभी उपस्थित पंच सदस्यों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये जो सही एवं सत्य हैं।

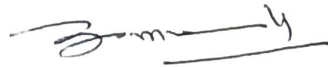
उपस्थित पंच सदस्य

(1) श्री भूपेन्द्र सिंह
CMO Amarkantak
नगर परिषद अमरकंटक

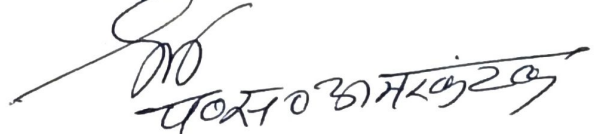
(2) श्री देवल सिंह
उप यंत्री नगर परिषद अमरकंटक

(3) श्री संतोष कुमार वर्मा (वनपाल)
परिक्षेत्र सहायक - अमरकंटक

हस्ताक्षर




10/08/24


वनपाल अमरकंटक

उपरोक्त संयुक्त स्थल निरीक्षण पंचनामा मौके पर मेरे द्वारा तैयार किया गया।

10/08/2024
(V.K. Srivastava)
R.O. Amarkantak

RO द्वारा स्थल निरीक्षण के लिये निर्धारित जॉच सूची

परियोजना का नाम - मुख्य मंत्री शहरी पेयजल योजना
 प्रपोजल नं. - FP/MP/WATER/50101/2020
 आवेदक संस्था का नाम - मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक
 परिक्षेत्र का नाम - अमरकंटक
 स्थल निरीक्षण दिनांक - 10.08.2024

क्र.	विशेष	RO द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट																		
1.	सीमा हेक्टेयर	3.418																		
2.	वन क्षेत्र अंतर्गत (अक्षांश देशांश)	N=22.70009, E=81.722871																		
3.	वन भूमि (संरक्षित वन / आरक्षित वन / राजस्व वन भूमि या किसी भी अन्य वन भूमि) की कानूनी स्थिति	संरक्षित / आरक्षित <table><tr><th>क्र</th><th>परिक्षेत्र</th><th>कक्ष क्रमांक</th><th>लम्बाई मीटर में</th><th>चौड़ाई मीटर में</th><th>हेक्टेयर</th></tr><tr><td>1</td><td>अमरकंटक</td><td>RF228 RF229</td><td>—</td><td>—</td><td>3.418</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	क्र	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	हेक्टेयर	1	अमरकंटक	RF228 RF229	—	—	3.418						
क्र	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	हेक्टेयर															
1	अमरकंटक	RF228 RF229	—	—	3.418															
4.	अस्थायी केन्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन	—																		
5.	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण	—																		
6.	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि या उससे सटे गैर वन भूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण	वर्तमान में कोई भी कार्य नहीं करने दिया गया है केवल प्रस्तावित किया गया है।																		
7.	वनस्पति की स्थिति। साइट की गुणवत्ता / प्रजाति संरचना आदि	साइट की गुणवत्ता श्रेणी IV-A- एवं घनत्व .. 6 है।																		
8.	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्य जीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्रायः वन्य जीवों की बहुतायत) की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।	—																		
9.	वनस्पति / पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानिकता।	—																		
10.	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे हैं तो कार्य आयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों ?	कार्यवृत्त का नाम - जैव विविधता																		
11.	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	जर्मदा नदी एवं कपिल मुनि तपोभूमि																		
12.	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों / परिवार का निर्भरता	वन क्षेत्र																		
13.	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव	—																		
14.	वहां किसी भी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये हैं ? वहां विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति ?	—																		

15.	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि या गैर वन भूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान। अगर बिगड़ी वन भूमि में है तो वर्तमान कार्य आयोजना अनुसार विवरण गैर वन भूमि है तो नजदीक वन क्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलोमीटर दूर करने के लिये किया जाना चाहिए।	—
16.	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।	—
17.	इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चाहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है।	—
18.	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	पेयजल एवं निस्तार हेतु सहमति
19.	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं।	—
20.	गैर साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जांच विकल्प।	—
21.	वन भूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया है, उपयोगता एजेंसी द्वारा इसका प्रमाण पत्र	—
22.	वन भूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुए पेड़ वृद्धि को बचाने की कोई गंजाइश।	—
23.	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।	जल संरक्षण से भूमिगत जल स्तर में सुधार
24.	परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ आर.ओ. की विशिष्ट सिफारिशें।	अमरकंटक जैसे छोटे हिल स्टेशन के लिए जल की उपलब्धता एवं इसी पर्यटन से शासन को राजस्व प्राप्ति के आधार होगा।

दिनांक - 10.08.2024

स्थान - अमरकंटक


 प.अ. का न.स.
 वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
 वन परिक्षेत्र अधिकारी